

राजस्थान सरकार

पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प) कैम्प उमरलाई

-:आदेश:- 180/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उमरलाई व भूअ.नि. कालोतरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार जसोरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उमरलाई तहसील जिला जसोरा की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 313 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम           | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 01.     | उमरलाई<br>खालना | 313         | केवलराम पुत्र मानाराम                | केवलराम पुत्र मानाराम  |

(१)  
पीठासीन अधिकारी  
(भागीरथ राम)  
लोक अदालत  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प, 2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
बालोतरा कैम्प, बालोतरा

क्रमांक :- 587-588

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार जसोरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री केवलराम पुत्र मानाराम को सूचनाार्थी।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
(भागीरथ राम)  
लोक अदालत  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प, 2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
बालोतरा कैम्प